



# जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक बैठक शाखा/प्र.प./पी.एस.आर./2023/1102

दिनांक 03/07/2023

## “अधिसूचना”

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिषद की 193वीं बैठक दिनांक 17.05.2023 के पत्र क्रमांक 10 में प्रस्तुत विवाह समारोह हेतु उपलब्ध उत्सव परिसर के मैदान, हॉल एवं कमरों की दरों में वृद्धि संदर्भ में संशोधित प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः निम्नानुसार नवीन निर्धारित दरें अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जावें।

अ. वि.वि. में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/ सभी वर्ग के कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विवाह हेतु -

| क्र. | भवन का नाम                                     | राशि    | GST Extra |
|------|------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1.   | उत्सव परिसर के मैदान का प्रतिदिन का किराया     | 20000/- | 18%       |
| 2.   | उत्सव परिसर के मुख्य हॉल के प्रतिदिन का किराया | 1500/-  | 18%       |
| 3.   | उत्सव परिसर के एक कमरे का प्रतिदिन का किराया   | 400/-   | 18%       |

ब. वि.वि. में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/सभी वर्ग के कर्मियों के आश्रितों/रिश्तेदारों के विवाह हेतु -

| क्र. | भवन का नाम                                     | राशि    | GST Extra |
|------|------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1.   | उत्सव परिसर के मैदान का प्रतिदिन का किराया     | 50000/- | 18%       |
| 2.   | उत्सव परिसर के मुख्य हॉल के प्रतिदिन का किराया | 2000/-  | 18%       |
| 3.   | उत्सव परिसर के एक कमरे का प्रतिदिन का किराया   | 500/-   | 18%       |

(क्रमांक 2 एवं 3 में विद्युत प्रभार समाहित है।)

नोट: उक्त नवीन दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रु 5000/- पृथक से जमा करना होगी, जो कि समारोह हेतु जमा राशि में समायोजित की जा सकेगी, लेकिन आवेदक द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में उक्त 5000/- की राशि वापिस नहीं की जावेगी।
2. उत्सव परिसर में विवाह समारोह से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक बैठक/2017/130 दिनांक 17.3.2017 एवं बैठक/2018/1188 दिनांक 7.5.2018 यथावत लागू रहेंगी।
3. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता संबंध में राशि रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।

कुलसचिव

ok

क्रमशः 2

क्रमांक बैठक शाखा / प्र.प. / पी.एस.आर. / 2023 / 1103

दिनांक 03 / 07 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. लेखानियंत्रक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता कृषि संकाय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. संचालक अनुसंधान सेवायें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. संचालक विस्तार सेवायें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. संचालक शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संचालक प्रक्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जबलपुर / रीवा / टीकमगढ़ / गंजबसौदा / पवारखेड़ा / सागर
8. अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
9. कार्यपालन यंत्री, निर्माण विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. माननीय कुलपति जी के निज सचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. समस्त प्रशिक्षण आयोजक, समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र।
13. सहायक यंत्री (एम.) / सहायक यंत्री (विद्युत), निर्माण विभाग, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
14. बैठक शाखा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

o/c K कुलसचिव